न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्रद्धा सिंह, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2025 / 139

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. भगवानसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी सुवाणा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।		1. भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राकेश कुमार रलिया अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 04/08/2025

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के पेश किया जिसमें बताया कि ग्राम सुवाणा तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 203 जिसके खसरा नं. 20 रकबा 11.0236 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं. 312/13 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा भूमि स्थित है, उक्त भूमि प्रार्थी के नाम की खातेदारी कब्जा सुद भूमि है जिसको आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम भगवानसिंह पुत्र भीवसिंह दर्ज है तथा प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण भरते समय राजस्व रेकर्ड गलती से प्रार्थी के पिता का बोलचाल वाला नाम भींवसिंह दर्ज हो गया है। जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के पिता का सही नाम भीमसिंह है, इसलिये न्यायहित में वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर भगवानसिंह पुत्र भींवसिंह के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र भीमसिंह इन्द्राज किया जावे। प्रार्थी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी, बन्दूक लाईसेन्स व ग्राम सुवाणा के खाता संख्या 206 जिसके खसरा नं. 304 रकबा 2.2339 किस्म सेवज सोयम भूमि में प्रार्थी का नाम भगवानसिंह पुत्र भीमसिंह दर्ज है, जो कि सही है। इसलिये न्यायहित में वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड दुरस्त फरमाया जाकर ग्राम सुवाणा के खाता संख्या 203 में प्रार्थी का नाम भगवानसिंह पुत्र भीवसिंह के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र भीमसिंह इन्द्राज करवाने का आदेश फरमावे। प्रार्थी ने अभी हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी के पास जमाबंदी के नकल लेने गया तब पटवारी ने बताया कि आपके पिता का नाम राजस्व रेकर्ड ग्राम सुवाणा के खाता संख्या 203 में भींवसिंह व खाता संख्या 206 में भीमसिंह दर्ज है तब प्रार्थी ने हल्का पटवारी से ग्राम सुवाणा के खाता संख्या 203 में अपने पिता का नाम भीवसिंह के स्थान पर भीमसिंह दर्ज करने के लिये कहा तब हल्का पटवारी ने कहा कि मामला रेकर्ड दुरूस्ती का है, इसलिये न्यायालय हाजा से रेकर्ड दुरूस्ती करवाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला रेकर्ड दुरूस्ती का है एवं प्रार्थनापत्र श्रीमान् न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है व अन्दर म्याद पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सुवाणा तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 203 जिसके खसरा नं. 20 रकबा 11.0236 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं. 312/13 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा भूमि में प्रार्थी अपना नाम भगवानसिंह पुत्र भींवसिंह के

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

04/08/25
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

स्थान पर भगवानसिंह पुत्र भीमसिंह इन्द्राज करने का आदेश फरमावे एवं उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया गया कि भू अभिलेख निरीक्षक गजसिंहपुरा व पटवारी हल्का बासनी हरिसिंह की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम सुवाणा के खाता संख्या 203 खसरा नं. 20, 312/13 में भगवानसिंह पुत्र भीवसिंह के नाम शामलाती भूमि में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राजस्व प्रार्थनापत्र के प्रस्तुत शपथपत्र में प्रार्थी भगवानसिंह पुत्र भीमसिंह दर्ज है। अतः भू अभिलेख निरीक्षक गजसिंहपुरा व पटवारी हल्का बासनी हरिसिंह की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम सुवाणा के खाता संख्या 203 खसरा नं. 20, 312/13 में प्रार्थी का नाम भगवानसिंह पुत्र भीवसिंह के स्थान पर प्रार्थी के पिता का नाम भगवानसिंह पुत्र भीमसिंह शुद्ध किया जाना उचित है। बहस सुनी गयी ।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र के आधार पर पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सुवाणा तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 203 जिसके खसरा नं. 20 रकबा 11.0236 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं. 312/13 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा भूमि में प्रार्थी का नाम भगवानसिंह पुत्र भीवसिंह के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र भीमसिंह इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार भोपालगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त रेकर्ड दुरूस्ती की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार भोपालगढ़ को नियमानुसार पालना हेतु भेजी जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्रद्धा सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 04/08/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

04/08/25

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़